

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 19/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/116

अनवान

1. दुर्गालाल पुत्र देवालाल ढोली निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पुष्पादेवी पत्नि दुर्गालाल ढोली निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. उगमी पत्नि डालु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. काली पुत्री डालु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गीता पुत्री चम्पालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोपीलाल पुत्र छोगालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. पप्पु पुत्र चम्पालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. प्यारचन्द पुत्र छोगालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मेताबदेवी पत्नि चम्पालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रघुनाथ पुत्र चम्पालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. लादुलाल पुत्र डालु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. समता पुत्री चम्पालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. हेमराज पुत्र लोबू जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. हीरा पुत्र चम्पालाल जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. कमला पुत्री मांगु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. कस्तुरी पुत्री छोगा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. नानु पुत्री मांगु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. नाराण पुत्र छोगा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. नारायणलाल पुत्र मांगु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. प्रकाश पुत्र छोगा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. प्रेम पुत्री मांगु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. रमेशलाल पुत्र छोगा जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. लेहरी पुत्री धुला जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. सोहनी पत्नि मांगु जाट निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी - प्रार्थीगण अधिवक्ता

2. विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 7 लगायत 22 एकपक्षीय



राजस्थान सरकार
जिला अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

निर्णय

दिनांक:-10.06.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 246 में अंकित आराजी संख्या 1918 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 1922 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.22 है, आराजी संख्या 1924 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 1925 रकबा 0.01 है, गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1926 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 1927 रकबा 0.11 है, आराजी संख्या 1928 रकबा 0.05 है कुल किता 9 कुल रकबा 0.96 है भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.03.2025 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 7 लगायत 22 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 10.06.2025 को अमल में लाई गई एवं विपक्षी संख्या 3, 6 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते हैं।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम नाथड़ियास पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 246 में अंकित आराजी संख्या 1918 रकबा 0.03 है, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.09 है, आराजी संख्या 1922 रकबा 0.10 है, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.22 है, आराजी संख्या 1924 रकबा 0.23 है, आराजी संख्या 1925 रकबा 0.01 है, गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1926 रकबा 0.12 है, आराजी संख्या 1927



सहायक कलेक्टर
(राजस्व, रायपुर)

रकबा 0.11 है०, आराजी संख्या 1928 रकबा 0.05 है० कुल किता 9 कुल रकबा 0.96 है० भूमि स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

4. न्यायालय ने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम नाथडियास पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 246 में अंकित आराजी संख्या 1918 रकबा 0.03 है०, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.09 है०, आराजी संख्या 1922 रकबा 0.10 है०, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.22 है०, आराजी संख्या 1924 रकबा 0.23 है०, आराजी संख्या 1925 रकबा 0.01 है० गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1926 रकबा 0.12 है०, आराजी संख्या 1927 रकबा 0.11 है०, आराजी संख्या 1928 रकबा 0.05 है० कुल किता 9 कुल रकबा 0.96 है० भूमि स्थित हैं, प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है।
5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

- 1.(परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटायें जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो



सहायक कलेक्टर
(राजस्थान) जयपुर

कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बंधित निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।


6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर ग्राम नाथडियास पटवार हल्का नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 246 में अंकित आराजी संख्या 1918 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1919 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 1922 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 1923 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1924 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 1925 रकबा 0.01 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 1926 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 1927 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 1928 रकबा 0.05 है0 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 0.96 है0 भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफतर हों।



आदेश आज दिनांक 10.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


(करुणा लाडोती)
रायपुर जिला मीलवाड़ा


उपरखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला मीलवाड़ा